

1019

पुनर्पत्र :- 517/रा.प्र.र-166/2024

दिनांक :- 13/03/2024

**From,**

District Magistrate  
Kanpur Dehat

**To,**

The Registrar,  
National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi.  
Email ID:- judicial-ngt@gov.in


**Sub: Action Taken Report of joint committee in compliance of the order dated 15.01.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 285/2023 In Re: Meghraj Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors.**

**Sir,**

That in compliance to the order dated 15.01.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 285/2923 In Re: Meghraj Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The Action Taken Report/Response is enclosed herewith

It is requested that the Action taken Report/Response may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours Sincerely

  
(Alok Singh)

District Magistrate  
Kanpur Dehat

**Copy to:-**

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Director, Fisheries Department, U.P.

  
District Magistrate  
Kanpur Dehat



PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT),

NEW DELHI

O.A. NO. 285/2023

IN THE MATTER OF MEGHRAJ SINGH Vs STATE OF U.P. &Ors.

## 1. BACKGROUND

The Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench vide its order dated 19.04.2023 has mentioned about Grievance of the applicant against disappearance of 1095 ponds in Kanpur Dehat, Uttar Pradesh. The applicant has stated that survey of ponds was conducted in 2011-12 for fisheries and in that survey 1975 ponds were found suitable for fisheries but hundreds of ponds were encroached.

In compliance of directions pronounced by Hon'ble NGT Delhi in OA No- 285/2023 Megh Raj Singh Vs State of Uttar Pradesh work is under process as per powers designated to authorities of the district. The works related to demarcation, geo-tagging, fishery development, water quality monitoring, identification of permanent and temporary encroachment and removal of permanent encroachment as per law and temporary encroachment 100% is being done.

1. No of ponds identified with Jal Kumbhi – 118 Nos.

Removal of invasive species (Specifically Jal Kumbhi English Name – Water Hyacinth) from the ponds is in process by district administration.

2. The district administration had separately identified and acted on temporary encroachment of the ponds of the district in Kanpur Dehat and removal of temporary encroachment is completed. The illustration of identification of temporary encroachment identified and number of ponds acted with removal of temporary encroachment is elaborated as below:

3. Notices are issued to encroachment holders under the said rule by the district authorities and as per procedure given under Uttar Pradesh Revenue Code-2006 removal of encroachment will be done from the listed permanent encroachment identified under Section-67 of State Revenue Code 2006.

That it is submitted that UPPCB has taken following steps:-

UPPCB has done sampling of identified water bodies and these samples were found not meeting the prescribed standards. These sampling reports were sent to DPRO Kanpur Dehat for necessary further action for tapping of sewage drains entering ponds from the houses or localities situated in vicinity of pond and explore alternative possible treatment prospects followed by native and best available treatment technologies such as phytoremediation or

biochemical treatment. It was also suggested for diversion of sewage from ponds vide letter no. 215/SA/R-166/2024 dated 03.01.2024.

In compliance of above Jila Panchayat Raj Officer (DPRO) Kanpur Dehat has informed vide his letter dated 07.03.2024 that as per New Gray Water Management Scheme survey & monitoring of 30 village Panchayats are completed. Under this scheme gray water will be diverted to community soak pits and arrangements will be made for ground water recharge of the village panchayats.

The scheme is released by Government of Uttar Pradesh under "Nagariya jheel/Talab/Pokhar Sanrakshan Yojna" where government of Uttar Pradesh had sanctioned budgets to districts for this dedicated purpose.

This will lead to improvement of water quality of ponds, avoid contamination of ponds as well as recharge of ground water and its strata management.

The above response is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

  
12-3-24  
R.O.  
UPPCB  
Kanpur Dehat

  
12.3.24  
C.E.O  
Fishery Department  
Kanpur Dehat

  
ADM (E)  
Kanpur Dehat

प्रेषक

जिला पंचायत राज अधिकारी  
कानपुर देहात।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड  
क्षेत्रीय कार्यालय-280,एन०एच०-19 रनियां,  
जनपद-कानपुर देहात।

पत्रांक-4366/पं०/सा०लि०/विविध-पत्रा०/2023-24

दिनांक- 7/3/24

विषय-: मा० एन०जी०टी०,नई दिल्ली द्वारा ओ०ए०न०-285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में समय-समय मे पारित आदेश के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-215/सा०/आर-166/2024 दिनांक-03.01.2024 एवं पत्र संख्या-419/सा०/आर-166/2024 दिनांक-19.02.2024 का संदर्भ लेने का कष्ट करे। जिसके द्वारा मा० एन०जी०टी०नई दिल्ली ओ०ए०न०/285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक-20.07.2023 में पारित आदेश के सम्बन्ध में जनपद के तालाबों में जलगुणवत्ता मानक विहीन पाये गये तालाबों की सूची संलग्न कर जल कुम्भी की सफाई कराने एवं सीवेज को डायवर्ड कराकर जलगुणवत्ता सुधार से सम्बन्धित कृत कार्यवाही से आख्या चाही गयी है।

तत्कम क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-3562 दिनांक-06.01.2024 एवं पत्र संख्या 4326 दिनांक-04.03.2024 के द्वारा समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) जनपद कानपुर देहात को पत्र एवं सूची प्रेषित कर उपरोक्तानुसार मानक विहीन तालाबों से जल कुम्भी की विधिवत रूप साफ-सफाई कराने एवं जलगुणवत्ता को ठीक कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

1. नहवीन ग्रे वाटर मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण मे जनपद की 30 ग्राम पंचायतों का सवेक्षण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, शीघ्र शेष ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा उत्पन्न ग्रे वाटर को साफ करने हेतु आवश्यकतानुसार कम्युनिटी सोक पिट का निर्माण कराकर ग्राउण्ड वाटर को रिचार्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

*Handwritten signature*  
✓ जिला पंचायत राज अधिकारी  
कानपुर देहात

पृष्ठांकन संख्या

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय कानपुर देहात की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

✓  
जिला पंचायत राज अधिकारी  
कानपुर देहात

1023



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एन०एच०-19, रनियां, कानपुर देहात-209304



सन्दर्भ सं० 215/शा०/R-166/2024

दिनांक : 03/01/2024

सेवा में,  
जिला पंचायतराज अधिकारी,  
कानपुर देहात।

महत्वपूर्ण/मा० एन०जी०टी० प्रकरण

विषय:- मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक 20.07.2023 में पारित आदेश के संबंध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 285/2023 मेघराज सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य दिनांक 20.07.2023 में पारित आदेश के अनुपालन में जनपद में स्थित तालाबों के जलगुणवत्ता की जांच की जा रही है। स्थल पर तालाबों की गुणात्मक जांच करते हुए जिन तालाबों की जलगुणवत्ता मानकों से अधिक पायी गयी (डिजाल्वड ऑक्सीजन 4 मि०ग्रा०/लि० से कम) उनके जल नमूने एकत्र कर केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में विश्लेषण हेतु प्रेषित किये गये थे, विश्लेषण आख्या के अनुसार कुल 6 तालाबों में टोटल कोलीफॉम की मात्रा अत्यधिक पायी गयी है। उक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित तालाबों में सीवेज का निस्तारण किया जा रहा है। विश्लेषण आख्या सहित तालाबों की सूची संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त 60 तालाबों में जल कुम्भी पायी जिसकी सफाई एवं जलगुणवत्ता में सुधार हेतु कृत कार्यवाही मा० एन०जी०टी० को प्रेषित किया जाना है, अतः कृपया तालाबों से जलकुम्भी की सफाई एवं तालाबों में जाने में वाले सीवेज को डायवर्ट कर जैविक उपचार (बॉयोरेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन) कर जलगुणवत्ता के सुधार के सम्बन्ध से अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे ससमय मा० एन०जी०टी० को अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरी

भवदीय

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष, मतस्य विकास परिषद, कानपुर देहात को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

कृते क्षेत्रीय अधिकारी

५

